174

संख्याः527/XXXVIII/16–(बायोटैक) 22/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्,
हल्दी, पंतनगर, ऊधमसिंहनगर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः **देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, 2016**

विषयः– उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता मद के आयोजनागत पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जै0प्रौ0/यूसीबी, हल्दी/2016/192 दिनांक 10.10.2016 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/201 दिनांक 26.07.2016 के क्रम में अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत 09–राज्य जैवप्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता मतदेय–14 बायोटैक्नोलाजी कार्यक्रम हेतु सहायता 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत लेखानुदान प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 100.00 लाख(रू0 एक करोड़ मात्र)** निम्न मदानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	मद	(धनराशि रूपये में)
1.	मानव संसाधन विकास	6,00,000.00
2.	जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, शोध व विकास	8,00,000.00
3.	अत्याधुनिक मॉलीक्यूलर डाइग्नोस्टिक केन्द्र	12,50,000.00
4.	बायोटैक पार्क भाऊवाला	35,00,000.00
5.	विज्ञान एवं समाज	2,50,000.00
6.	निदेशन व प्रशासन • कार्यालय व्यय व भवन किराया • वेतन एवं यात्रा भत्ता • वाहन ईंधन • वाहन रखरखाव साहित्य • प्रकाशन, प्रचार प्रसार	36,00,000.00
	कुल योग	1,00,00,000.00

1. उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/201 दिनांक 26.07.2016 में निहित प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की व्यय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं संशोधित अधिप्राप्ति नियमावली में निहित प्रावधानों, व्यवस्थाओं एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. संस्था द्वारा यदि किसी योजना/योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय। संस्था को अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि उक्त मदों में ही नियमानुसार व्यय की जाय। किसी मद में धनराशि परिवर्तन का अधिकार संस्था को नही होगा, यदि किसी मद में धनराशि परिवर्तित/स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो, तो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी/शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जाय। सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय तथा न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाय। यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उक्त कृत्य को वित्तीय अनियमितता

क्रमशः–2

की श्रेणी में माना जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

3. उक्त व्यय किये जाने से पूर्व जिन कार्यो/मदों/योजना में धनराशि नियमानुसार व्यय की जानी हो उन कार्यो/मदों/योजना में कार्य की अवधि, नियोजित कार्मिक, कार्य की अनुमानित लागत, औचित्य, कुल एवं चालू वित्तीय वर्ष में कार्य के कुल लक्ष्य इत्यादि के निर्धारण उपरान्त इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से कार्य/योजना के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त किये जाने उपरान्त ही कार्य/योजना में व्यय सुनिश्चित किया जाय।
4. वचनबद्व मदों तथा वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि मे व्यय स्वीकृत ढ़ांचे के अनुसार नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों के सापेक्ष ही किया जाय। यदि संस्था के अन्तर्गत स्वीकृत ढ़ांचे के अतिरिक्त, कार्मिक किसी भी माध्यम से योजित हों अथवा नियोजित किये जाने की आवश्यकता हो तो उन कार्मिकों के सम्बन्ध में विभिन्न भारित व्ययों का भुगतान संस्था की स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष ही वहन किया जाय। उक्त का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. बी0एम0–8 पर सम्बन्धित मदवार विवरण सहित संकलित मासिक सूचनायें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। माह में किये गये कार्यो का प्रमाण–पत्र/विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करते हुए प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–23–00–आयोजनागत–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान–60–अन्य–004–अनुसंधान तथा विकास–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–09–राज्य जैवप्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता मतदेय–14 बायोटैक्नोलाजी कार्यक्रम हेतु सहायता 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–अलोटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्या–527/XXXVIII/16–22/2011तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

15. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
16. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
17. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
19. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
20. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।